दस्तावेज़ 1

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 239वीं बैठक
दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 239वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई , जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :-

1-	श्री सदाकान्त	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2-	प्रो0(डॉ0) सुरभि शुक्ला	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3-	श्री सिद्धार्थ सिंह	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
4-	श्री सुशील कुमार टिबड़ेवाल	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5-	श्री रुद्र प्रताप सिंह	सचिव/आवास आयुक्त, आ0वि0प0	सचिव/सदस्य
6-	श्री सुशील कुमार गुप्ता	वित्त नियंत्रक	सदस्य
7-	श्री मो0 सलीम अहमद	मुख्य अभियंता	सदस्य
8-	श्री डी.सी.गुप्ता	वरिष्ठ नियोजक, प्रतिनिधि, सीटीसीपी उ0प्र0	सदस्य
9-	श्री मुकुल जोशी	उप निदे.,प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव सार्व. उद्यम विभाग	सदस्य
10-	श्री एस.के.सिंह	उपसचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
11-	श्री सुभाष चन्द	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
12-	श्री दुर्गेश श्रीवास्तव	अधी0अभियंता,उपाध्यक्ष, लख.वि. प्राधिकरण,लखनऊ	आमंत्री सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :-

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
239/1	परिषद की 238वीं बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 238वीं बैठक दि0 20.09.16 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
239/2	परिषद की 238वीं बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2016 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 238वीं बैठक दि0 20.09.16 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

239/3	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की आवासीय सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी विनियम, 1980 (संशोधित फरवरी 1993, जो वर्तमान में संशोधित मार्च 2016) के विनियम-8(1)जो विदेशी मुद्रा में सम्पत्ति की उपलब्धता में किसी भी समय पंजीकरण किये जाने विषयक है, को समाप्त किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
239/4	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद ,स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0-14/कॉम-1 के निरस्तीकरण एवं आवंटी को उनकी जमा धनराशि के नियमानुसार वापसी	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	एवं उक्त व्यावसायिक भूखण्ड के नीलामी से निस्तारण के सम्बन्ध में।	

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

239/5	भूखण्ड सं0 694/2, योजना संख्या–7, शास्त्रीनगर, मेरठ का आवासीय से नर्सिंग होम में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त भू-प्रयोग परिवर्तन सम्बंधी नियमावली अनुमन्यता के आधार पर आवास आयुक्त द्वारा परीक्षण कर प्रकरण निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया।
239/6	भूखण्ड संख्या–ए–7 कुंज विहार, सेक्टर–6, जागृति विहार योजना संख्या–6, मेरठ का आवासीय से नर्सिंग होम में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	निर्णय मद सं0 239/5 की भांति।
239/7	भूखण्ड सं0–13/03, योजना संख्या – 6, जागृति विहार, मेरठ का आवासीय से नर्सिंग होम में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	निर्णय मद सं0 239/5 की भांति।

समन्वय अनुभाग

239/8	परिषद योजनाओं में स्थित स्टाफ भवनों को अनारक्षित कर उनमें अध्यासित कार्मिकों के पक्ष में निजी रूप से आवंटित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव में निर्धारित मानकों के अनुरुप आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने एवं उनके परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

लेखा अनुभाग

239/9	परिषद की प्राप्तियों एवं व्ययों की समीक्षा।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया तथा आय/प्राप्तियों के सापेक्ष व्यय अधिक होने पर गहन विचार–विमर्श किया गया, निर्णय लिया गया कि आवास मेला आयोजित किये जाये तथा बकायादारों के विरुद्ध एक सुनियोजित रणनीति बनाकर छह माह का एक अभियान चलाया जाय साथ ही बैंकर्स के लिये लिखित में 'क्या करना है एवं क्या नही करना है' सर्कुलर जारी करें।
239/10	परिषद की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित उपाय व सुझाव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आवास आयुक्त एक समिति बनाकर सुझावित बिन्दुओं का परीक्षण कराये तथा तत्सम्बंधित सुविचारित आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
239/11	परिषद के वित्तीय वर्ष 2015–16 के वार्षिक लेखों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
239/12	महालेखाकार द्वारा आडिटेड वित्तीय वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

239/13	परिषद में लेखा परीक्षा एवं लेखांकन मैन्युअल तैयार कराकर लागू कराने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
239/14	परिषद में लेखों के कम्प्यूटराईजेशन एवं लेखा कर्मियों के रिक्त/सृजित पदों पर भर्ती के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त परिषद के लेखों के कम्प्यूटराईजेशन के प्रस्ताव पर आवास आयुक्त को निर्णय लेने एवं रिक्त/सृजित पदों के सम्बंध में शासनादेश के आलोक में औचित्य सहित परीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया।
239/15	परिषद कार्मिकों की जी0आई0एस0 के सेविंग पोर्शन की धनराशि के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
239/16	परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ पेंशन ट्रस्ट गठन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
239/17	आयकर के संबंध में अध्यावधिक स्थिति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
239/18	आयकर अधिनियम 1961 की धारा–10 के अन्तर्गत आयकर विभाग द्वारा वांछित फार्म–10 दाखिल किये जाने हेतु अधिकृत करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
239/19	सेवाकर के सैनविट केडिट का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु नियमानुसार सी0ए0 फर्म को नियोजित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

239/20	महोली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–1 मथुरा में समाविष्ट खसरा संख्या–2059 क्षेत्रफल 0.33 एकड़ अर्थात 1335.49 वर्ग मीटर भूमि पर निर्मित नोहरे की भूमि को आसुधार शुल्क/विकास शुल्क लेकर समायोजित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
239/21	इन्दिरानगर योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम गाजीपुर सईदुलनिशा के खसरा संख्या 492 की भूमि रकबा 0–6–0 बीघा को वर्तमान दर पर आवंटन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
239/22	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 की धारा–33 के अन्तर्गत भू–अर्जन हेतु संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई एवं निस्तारण की शक्ति आवास आयुक्त के पक्ष में प्रतिनिधायन किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
239/23	परिषद की दिल्ली–सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (मण्डोला विहार) गाजियाबाद के अन्तर्गत अधिग्रहीत आबादी की भूमि को	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव जिसमें ग्राम समाज की भूमि होने तथा योजना की सीवर, सड़क रुके होने के साथ ही परिषद के अधिग्रहण में होने के फलस्वरुप संयुक्त

	अधिग्रहण से मुक्त करने के सम्बन्ध में।	आवास आयुक्त, मेरठ जोन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति जिसमें सम्बंधित अधीक्षण अभियंता तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य होंगे, यह समिति सभी बिन्दुओं का परीक्षण कर पक्षकारों से वार्तालाप कर के समुचित समाधान प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जायेगा। उक्त समिति की संस्तुति पर सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक रखें जाने का निर्णय लिया गया।
239/24	कुर्सी रोड विस्तार योजना, लखनऊ में समाविष्ट गाटा संख्या–470 रकबा 1–3–15 बीघा ग्राम बटहा सबौली तहसील सदर लखनऊं की भूमि के समायोजन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
239/25	अरतौनी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–5, आगरा में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित 1289.59 एकड़ भूमि में से प्रथम चरण में 62.4760 हैक्टेयर (154.41 एकड़) भूमि को काश्तकारों/भूस्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर बैनामे के द्वारा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर गहन विचार किया गया। परिषद की 238वीं में लिये गये निर्णय के अनुसार 154 एकड़ भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति दी गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि मूल्यांकन निर्देशिका–1986 संशोधित सं0 1992 यथासंशोधित–2001 में संशोधन विषयक प्रस्ताव सं0 239/43 में अनुमोदित मूल्यांकन निर्देशिका के अनुसार विक्रयशीलता की दर निकालते हुए इस योजना को आगे बढ़ाने के सम्बंध में आवास आयुक्त द्वारा अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
239/26	सिकन्दरा योजना आगरा में समाविष्ट ग्राम गैलाना के खसरा संख्या–1048, 1049, 1050, 1051 व 1052 की भूमि के सम्बन्ध में मा0 अपर जिला जज, (सि0डि0) आगरा में दायर वाद संख्या–1003/1986 राम सहाय बनाम परिषद में मा0 न्यायालय के स्थगनादेश दिनांक 05.07.1996 से प्रभावित/विवादित आवासीय भूखण्डों को आपसी समझौते के आधार पर वर्तमान दर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
239/27	श्री प्रमोद कुमार सिंह (जो मूल भू–स्वामी नहीं है, second purchaser हैं) के द्वारा झूँसी योजना सं0–2 में खसरा सं0–430 से क्रय की गयी भूमि 741 वर्गमी0 के स्थान पर झूँसी योजना सं0–3 में भूखण्ड सं0–3/328/7 एवं टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस के मध्य स्थित 663.00 वर्गमी0 भूमि को आउट आफ कोर्ट सेटेलमेन्ट, स्वामित्व के आधार पर परिषद नियमानुसार	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त इस प्रस्ताव का मूलाधार यह है कि गत बोर्ड की बैठक में श्री कौशलेन्द्र शुक्ल के प्रकरण में निर्णय लिया गया था। इसी प्रकरण को वर्तमान आवेदन में दृष्टांतया लिया गया है। प्रस्ताव से स्पष्ट है कि आवेदक के पास भूमि का स्वामित्व नही है, मा0 उच्च न्यायालय में स्वामित्व विषयक याचिका निरस्त की जा चुकी है। स्थल पर पक्षकार का भूमि पर कब्जा नही है। इनके इस अनुरोध पर कि परिषद स्टोर की भूमि अथवा

	आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	अन्य स्थल की उपलब्ध भूमि को आवंटित की जाये। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि के स्वामित्व एवं कब्जे के संबंध में तथ्यात्मक एवं प्रमाणित रिपोर्ट प्राप्त की जाय। आवास विकास परिषद के नियमों के अन्तर्गत मेरिट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही आवास आयुक्त द्वारा की जा सकती है।

अभियन्त्रण अनुभाग

239/28	परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ के सेक्टर–6 में स्थित मिनी इण्डोर स्टेडियम को अनुरक्षण आदि हेतु प्राइवेट संस्था को दिये जाने संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखें जाने का निर्णय लिया गया।
239/29	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–1 में निर्मित अवध शिल्प ग्राम के आपरेशन एवं मेन्टीनेन्स हेतु प्राप्त निविदा की स्वीकृति के उपरान्त मा0 परिषद के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। आवास आयुक्त, प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी में इसको प्रस्तुत कर मेरिट के आधार पर निर्णय करायें, तब तक कोई अग्रिम कार्यवाही न की जाय।
239/30	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–2बी में प्रस्तावित आईकॉनिक टॉवर (बहुमंजिली कार्यालय भवन) के निर्माण हेतु रु0 219.61 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

प्रशासन अनुभाग

239/31	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में नियुक्त मुख्य विधि परामर्शदाता के सेवाकाल को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

239/32	वृन्दावन योजना के सेक्टर–2ए में स्थित संस्थागत भूखण्ड संख्या–2ए/आई0एन0एस0–1सी एवं 2ए/आई0एन0एस0–2 के भू–प्रयोग परिवर्तन के उपरान्त ग्रुप हाउसिंग उपयोग अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
239/33	भूखण्ड सं0–बी–215 इन्दिरानगर, लखनऊ का भू उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किए जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

239/34	परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–काम–ए1 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

239/35	परिषद की पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी स्थित विस्थापित भूखण्डों में से भूखण्ड संख्या–2ए/92 व भूखण्ड संख्या–2ए/110 को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
239/36	परिषद की योजनाओं में निर्मित होने वाली दुकानों के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

239/37	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–5 में प्रस्तावित एस0बी0आई0 इन्क्लेव के निर्माण हेतु रु0 64.64 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

239/38	वृन्दावन योजना सं0–2, भाग–1, लखनऊ में रायबरेली रोड के किनारे स्थित ग्राम–हैवतमऊ मवइया एवं ग्राम–उतरेठिया की (रायबरेली रोड, रेलवे ट्रैक, शहीद पथ व शारदा कैनाल के मध्य) अनियोजित भूमि को आवंटन/समायोजन करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।
239/39	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सुल्तानपुर रोड योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ एवं मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, लि0, लखनऊ द्वारा विकसित की जा रही हाइटेक टाउनशिप हेतु ग्राम बरौन सेक्टर–7बी की 74.876 एकड़ भूमि को योजना से पृथक किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
239/40	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ में समाविष्ट ग्राम सरसवॉ में एम0आई0 बिल्डर्स, लि0 के ग्रुप हाउसिंग हेतु स्वीकृत मानचित्र से आच्छादित खसरा नम्बरों की भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
239/41	श्री आशुतोष त्रिपाठी द्वारा झूंसी योजना संख्या–3 के अन्तर्गत खसरा संख्या–298 व 411 पर अतिक्रमित किये गये रकबे 1760.00 वर्ग मी0 भूमि को शासनादेश में निहित शर्तों एवं परिषद प्राविधानानुसार आउट ऑफ	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव में हुए शासन के निर्णय का अनुपालन करते हुए व्याजसहित असुधार शुल्क लेकर प्रकरण निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

	कोर्ट सेटेलमेन्अ करते हुए श्री आशुतोष त्रिपाठी के पक्ष में आवंटित/समायोजित किये जाने के संबंध में।	

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

239/42	वसुंधरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–7 व 8 के मिश्रित भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

239/43	मूल्यांकन निर्देशिका–1986 संशोधित सं0 1992 यथासंशोधित–2001 में संशोधन किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा बिन्दु सं0–5 विकास दर के व्यय के सम्बंध में है। इस पर निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियंता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद कृपया इसका परीक्षण कर व्यावहारिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर आवास आयुक्त से आदेश प्राप्त कर लें और अगली बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी उपलब्ध करा दी जाय।

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

239/44	परिषद की जिगर विहार योजना, मुरादाबाद में श्री सोमदत्त शर्मा को आवंटित अल्प आय वर्ग भवन सं0 जीए–321 पर आरोपित दंड व्याज माफी के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
239/45	किश्तों पर आवंटित सम्पत्तियों में देय किश्तों को एकमुश्त जमा करने पर देय छूट के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, साथ ही भविष्य में परिषद की अनिस्तारित सम्पत्तियों अथवा आवंटित सम्पत्तियों की धनराशि अवरुद्ध होने व उनमें निहित धनराशि की शीघ्र वसूली हेतु और अधिक छूट देने के सम्बंध में प्रासंगिक, सम–सामयिक एवं सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का भी निर्णय लिया गया।
239/46	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।**	
	विषय : आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 2676/आठ– 2– 2016 –01 बजट/2007 दिनांक 06.10.16 पर विचार–विमर्श। (वित्त एवं लेखानुभाग)	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 2676/आठ– 2– 2016 –01 बजट/2007 दिनांक 06.10.16 पर सम्यक विचार–विमर्श किया गया एवं इस हेतु आवास आयुक्त को सुविचारित कार्य–योजना बनाकर शासन भेजने हेतु अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुमोदित

(सदाकान्त)
अध्यक्ष

पुष्टि की गयी

उपाध्यक्ष